न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 55/2023 उनवान लोग्या बनाम छगनलाल	
08/4/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। वकील प्रार्थी को प्रा० पत्र धारा 136 LR Act पर सुना गया। वाद पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी नं. 01, 2, 4 से 08 व 10 से 13 को तामिल हो चुकी है किन्तु वे अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी नं. 01, 2, 4 से 08 व 10 से 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली 13/4/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़
13/4/24	वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अतः प्रा० पत्र 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : सुश्री नेहा राजपूत (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 55/2025

1. लोया पुत्री किशना, जाति जाट, उम्र लगभग 39 वर्ष, हालनिवासी उपरला बास, अमरपुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान

वादीया/प्रार्थीया

बनाम

1. छगनलाल पुत्र गोपी, जाति जाट
2. छोटू पुत्र पन्ना, जाति जाट
3. झमकू पत्नि किशना, जाति जाट
4. प्रभुलाल पुत्र गोपी जाति जाट
5. बोदूलाल पुत्र गोपी, जाति जाट
6. रामेश्वरी पुत्री गोपी, जाति जाट
7. रामा पुत्र पन्ना, जाति जाट
8. लाली पुत्री गोपी जाति जाट
9. लाली देवी पुत्री गोपी, जाति जाट (नाम तर्क आदेश 11.03.2026)
10. गोरा पुत्री भंवरलाल, जाति जाट
11. घीसी पुत्री भंवरलाल, जाति जाट
12. भंवरलाल पुत्र कालू, जाति जाट
13. मनभर पुत्री भंवरलाल, जाति जाट

सर्वनिवासीगण ग्राम सांवतसर, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान

–प्रतिवादी / अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 13.04.2026

1. प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णावतार शर्मा एवं जितेन्द्र शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पुश्तैनी, कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की कृषि वाके ग्राम सांवतसर, पटवार क्षेत्र सांवतसर, भू.अ.नि.क्षे. किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है जो निम्न प्रकार वर्णित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 98 के खसरा संख्या 464 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खाता संख्या 97 खसरा संख्या 461 रकबा 1.3349 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी का 47/330 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्वाधिकारी स्व. श्री किशना का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था, जिनके स्वर्गवास पश्चात् उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। जिसमें प्रार्थीया का नाम रमा चौधरी की बजाय लोया दर्ज कर दिया गया था, प्रार्थीया का नाम रमा चौधरी के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

पर लोया नाम की त्रुटि आज तक चली आ रही है। प्रार्थीया का सही नाम "रमा चौधरी" है, किन्तु त्रुटिवश सहवन से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज होने में प्रार्थीया का नाम अंकन होते समय प्रार्थीया का बोलता नाम "लोया" लिख दिया गया। प्रार्थीया के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 5479 3832 3889, राशन कार्ड, एवं पहचान पत्र संख्या MWJ/1482611, प्रार्थीया की कक्षा 8 वीं. की अंकतालिका, प्रार्थीया के पिता का सजरा प्रमाण पत्र पत्र में प्रार्थीया का नाम "रमा चौधरी" अंकित हैं तथा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सहवन् से लोया दर्ज है। प्रार्थीया को उक्त नामान्तरण से दर्ज गलत नाम के त्रुटि को जब की जानकारी नही थी। प्रार्थीया ने दिनांक जमाबन्दी की नकल ली तब प्रार्थीया की जानकारी में आया कि राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश उसका नाम "रमा चौधरी" के स्थान पर लोया दर्ज हो रखा है। राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया के गलत नाम की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानियां हो रही है। पैरा संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड व वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम दर्ज प्रविष्टि "लोया" के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम से प्रविष्टि "रमा चौधरी" अंकित कर व वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, इसलिये प्रार्थीया के लिये यह नाम दुरूस्ती की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वादी निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि पैरा संख्या–1 में वर्णित ग्राम सांवतसर की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड प्रार्थीया का नाम "लोया" शून्य घोषित कर सही नाम "रमा चौधरी" होना घोषित किया जाकर तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम "रमा चौधरी" दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करने की डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 55/2023 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार उपस्थित हुये तथा सहमति जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 से 08, 10 से 13 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 02.04.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि बिन्दु सं० 01 स्वीकार है। ग्राम सांवतसर की जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार संवत 2068–71 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के स्थायी खाता सं० 97 ख० नं0 461 रकबा 18349 हि0 47/330 पर लोया पुत्री किशन जाट सा. देह खातेदार खाता 464 रकबा 0.0647 हेक्टै भूमि पर हि0 1/14 लोया पुत्री किशना जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। वाद पत्र का बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है। नामा० सं० 1110 दिनांक 21.08.2001 के द्वारा मृतक किशना वल्द पन्ना के स्थान पर वादी मु. झमकू बेवा किशना, लोया पुत्री किशना कौम जाट का नाम दर्ज किया गया जिसकी प्रति संलग्न है। बिन्दु सं० 3 में राजस्व रिकोर्ड के अलावा वादी द्वारा पेश अन्य दस्तावेजों में नाम रमा चौधरी दर्ज है। जिसकी प्रति संलग्न है। अतः सहखातेदार/अन्य मौतबिरान से जानकारी अनुसार वादी का नाम लोया के स्थान पर रमा चौधरी किया जाना उचित होगा जिससे कोई राजहित प्रभावित नहीं होगा।

Rajput

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

4. दिनांक 13.04.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुय निवेदन किया कि श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम सावंतसर स्थित भूमि खसरा संख्या खाता संख्या 98 खसरा संख्या 464, खाता संख्या 97 खसरा संख्या 461 में प्रार्थीया का नाम लोया पुत्री किशना के स्थान पर रमा चौधरी पुत्री किशना का अंकन करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा तहसीलदार किशनगढ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु निर्देशित करें।

5. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वादअधीन भूमि ग्राम सांवतसर स्थित भूमि खाता संख्या 97 खसरा संख्या 461 रकबा 1.3349 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 98 खसरा संख्या 464 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2068–71) में प्रार्थीया का नाम लोया पुत्री किशना के स्थान पर रमा चौधरी पुत्री किशना का अंकन करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड संख्या 179955 में किशनलाल नुवाद की पुत्री का नाम रमा दर्ज है, तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा जो कि हल्का पटवारी एंव गिरदावर द्वारा पेश किया गया है उसमें भी प्रार्थीया का नाम लोया एवं रमा होना उल्लेखित किया गया है, तहसीलदार किशनगढ द्वारा लोया पुत्री किशना से रमा चौधरी पुत्री किशना का अंकन करने हेतु अनुशंषा की है।

6. हालांकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.राजस्व. अधि. 1956 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत परिलक्षित नहीं होता है किन्तु प्रार्थीया गरीब काश्तकार है, आमजन में न्याय की सुलभता एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण में हम प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायौचित समझतें है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेज, वकील प्रार्थी की बहस एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करती है। तहसीलदार किशनगढ को आदेश दियें जातें है कि ग्राम सांवतसर के खाता संख्या 97 खसरा संख्या 461 रकबा 1.3349 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 98 खसरा संख्या 464 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में ''लोया पुत्री किशना'' के स्थान पर ''रमा चौधरी पुत्री किशना'' का अंकन कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करें।

आदेश हमारे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)
किशनगढ़